(ङ) क्या श्रम विभाग अथवा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा नियमित रूप से इसकी देखभाल और जांच की जाती रही है, यदि हां, तो उनकी जांच का ब्यौरा क्या है ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार एम० आई० सी० का भण्डारण स्टैनलेस स्टील टैंकों में किया जाता है जो आंशिक रूप से भूमिगत होते है और उनकी ऊपरी सतह सीमेन्ट कंकरीट के आवरण से ढका होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि सीमेन्ट आवरण में दरार पड़ गई थी। यह भी प्रतीत होता है कि दबाव बढ़ जाने से एक भण्डारण टैंक से गैस का रिसाव हो गया था जिससे सुरक्षा वाल्व खुल गया ।

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है और उसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ दुर्घटना की परिस्थितियों, कारखाना प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की पर्याप्तता और सुरक्षा-उपायों की पर्याप्तता तथा उनके कार्यान्वयन की जांच करना शामिल है । इसके अलावा सी० बी० आई० इस सम्बन्ध में प्लांट प्राधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दर्ज किए गए अपराधिक मामलों की जांच कर रही है । जांच कार्य जारी है । यूनियन कार्बाइड के प्रबन्धकों के खिलाफ और कार्यवाही करने के प्रश्न पर जांच कार्य पूरे होने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाएगा ।

भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में एम०आई०सी० गैस का उत्पादन

63. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल**
श्री कैलाशपति मिश्र

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में एम० आई० सी० गैस का उत्पादन स्वीकृत क्षमता से अधिक किया जाता था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) 1983–84 वर्ष के दौरान उक्त कारखाने में एम० आई० सी० गैस की प्रतिष्ठापित क्षमता महीनेवार कितनी कितनी थी ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 175 टन प्रति वर्ष ।

यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० भोपाल के निदेशकों के विरुद्ध मामले

64. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** :
श्री कैलाशपति मिश्र :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० भोपाल के निदेशकों के नाम क्या क्या हैं, और

(ख) उक्त कारखाने से जहरीली गैस के रिसने के लिए उनमें से कितने निदेशकों के विरुद्ध मामले दायर किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) मैसर्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के निदेशकों के नाम निम्न प्रकार है :— सर्वश्री केशव महिन्द्रा, ए० डब्ल्यू० लुट्ज, वी० पी० गोखले, ए० एम० एस० अरुणाचलम, आर० ई० ब्रिण्डले जुनियर, एफ० जे०अ टेलो, एन० एन० लहिरी, भास्कर मित्र, आर० नटराजन, जे० एम० रेफिल्ड और जे० एन० सक्सेना ।

(ख) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक सहित संयंत्र के प्राधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, 304ए, 120बी, 278, 286, 429 और 426 के अधीन आपराधिक मामला दायर किया गया है ।